भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 232
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत लंबित दावे

232. श्री राहुल कस्वांः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सहित कई राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत खरीफ-2024 फसल बीमा दावे, राज्य प्रीमियम सब्सिडी जारी होने में देरी के कारण लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राजस्थान में लंबित दावों की वर्तमान स्थिति और दावा-निपटान का औसत समय क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के किसानों, विशेषकर दूरदराज के जिलों के किसानों द्वारा, केवल उपग्रह-आधारित आकलन के कारण दावा अस्वीकार किए जाने के संबंध में कोई शिकायत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सब्सिडी और जमीनी स्तर पर फसल क्षतिपूर्ति को समय पर जारी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या दावा-निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित तकनीकी निधि (824.77 करोड़ रुपए) का उपयोग किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इसकी अनुमानित कार्यान्वयन योजना और समाधान हेतु अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

अधिकांश दावों का निपटारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से **(क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान करने के बाद किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 के लंबित दावों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक 2018-19 से 2024-25 के दौरान राजस्थान के जिलेवार लंबित दावों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने सहित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को विकसित किया गया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल को अपनाया गया है। इसमें खरीफ 2024 से, सभी दावों की समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग करने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का एकीकरण शामिल है। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो एनसीआईपी के माध्यम से 12 प्रतिशत का जुर्माना स्वत: गणना करके लगा दिया जाता है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने का कार्य शुरू किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो।
- खरीफ 2025 सीजन से योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा एकत्र करना और उसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की निगरानी करने की अनुमति प्रदान करना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी होने पर 12% जुर्माने का प्रावधान है जिसकी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर स्वतः गणना की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से ऑब्जेक्टिव फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित तकनीकों को भी लागू किया गया है:

i. यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) का क्रमिक स्थानांतरण रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में करने से उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांक अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीजन से जोड़ा गया है।

ii. विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) इसका उद्देश्य जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के **5** गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-गेज (एआरजी) के नेटवर्क की स्थापना करना है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय में अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में फीड किया जाएगा। विंड्स, न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है**,** बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन**,** सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

इस योजना के राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाने के कारण बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों के समाधान हेतु, योजना के संशोधित प्रचालन

दिशानिर्देशों में **स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र** अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, जिनके माध्यम से शिकायतों का समाधान किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

विभाग सभी हितधारकों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव और विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने, किसानों को दावों का समय पर भुगतान करने और योजना को और अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

(ड.) और (च) : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु 824.77 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एफआईएटी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है:

i. तकनीकी नवाचार जैसे यस-टेक, विंड्स तथा क्रॉपिक

ii. प्रौद्योगिकी (जैसे ड्रोन, आईओटी, रिमोट सेंसिंग आदि) को वित्तपोषित और सब्सिडी प्रदान करना;

iii. उत्पाद सैंडबॉक्स दृष्टिकोण के अंतर्गत, नए बीमा और जोखिम सुरक्षा समाधानों के नवाचार और विकास को वित्तपोषित करना;

iv. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुशल और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए किसानों और फसलों के विश्वसनीय डेटा के निर्माण और संग्रहण को सुगम बनाना; और

v. फसल क्षति और उपज नुकसान अनुमान, फसल पहचान और डिजिटलीकरण आदि के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास पहल, जोखिम सुरक्षा उत्पादों और तकनीकी समाधानों को संचालित करने हेतु शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संस्थानों को अनुदान देना आदि।

अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: 30 जून, 2025 तक खरीफ 2024 सीजन के लिए लंबित राज्य सब्सिडी के कारण लंबित दावों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबित दावे (रुपये करोड़ में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00
आंध्र प्रदेश	224.9
असम	1.6
छत्तीसगढ	3.5
गोवा	0.00
हरियाणा	20.3
हिमाचल प्रदेश	6.4
जम्मू एवं कश्मीर	0.2
झारखंड	20.6
कर्नाटक	0
केरल	0
मध्य प्रदेश	1,101.1
महाराष्ट्र	148.6
मणिपुर	0
मेघालय	0.01
ओडिशा	5.9
पुदुचेरी	1.5
राजस्थान	701.8
सिक्किम	0
तमिलनाडु	0.8
त्रिपुरा	0.0
उत्तर प्रदेश	8.00
उत्तराखंड	0.01
कुल	**2,245**

अनुबंध-II

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: राजस्थान में 2018-19 से 2024-25 के दौरान 30 जून 2025 तक लंबित दावों का जिलावार विवरण (लंबित राज्य सब्सिडी सहित सभी कारणों से)

जिला (राजस्थान)	लंबित दावे (रुपये करोड़ में)
अजमेर	121.21
अलवर	7.30
बांसवाड़ा	1.66
बारां	2.29
बाड़मेर	18.75
भरतपुर	13.57
भीलवाड़ा	36.58
बीकानेर	31.97
बूंदी	12.26
चित्तौड़गढ़	13.35
चुरू	21.06
दौसा	4.15
धौलपुर	1.02
डूंगरपुर	0.89
हनुमानगढ़	44.31
जयपुर	121.84
जैसलमेर	43.14
जालौर	34.08
झालावाड़	15.87
झुंझुनूं	18.55
जोधपुर	146.05
करौली	0.82
कोटा	16.11
नागौर	146.87
पाली	47.18
प्रतापगढ़	8.93
राजसमंद	0.74
सवाई माधोपुर	24.68
सीकर	29.48
सिरोही	6.68
श्रीगंगानगर	60.83
टोंक	70.24
उदयपुर	1.32
कुल	**1,123.76**

*****